न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 45/2024 G.C.M.S. No. 2024/236 दर्ज दिनांक : 26.06.2024

अपीलार्थी:

1. विष्णुराम पुत्र मदनलाल, जाति नायक, निवासी ग्राम बलाड़ा, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. गंगाराम पुत्र डावरराम
2. हीरालाल पुत्र डावरराम
3. घेवरराम पुत्र डावरराम
4. पुसाराम पुत्र डावरराम
5. भागीरथ पुत्र डावरराम
6. रतनलाल पुत्र डावरराम, तमाम जातिगण भांबी, निवासीगण ग्राम बलाड़ा, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
7. गुलाब पुत्र सवाई
8. मदनलाल पुत्र लालुराम
9. भंवरलाल पुत्र लालुराम
10. उमाराम पुत्र लालुराम
11. नेमाराम पुत्र लालुराम
12. जितेन्द्र पुत्र बंशीलाल, तमाम जातिगण नायक, निवासीगण ग्राम बलाड़ा, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
13. तहसीलदार भूमिधारी जैतारण व जिला ब्यावर।
14. उपपंजीयन अधिकारी महोदय, आनंदपुर कालु, जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2024 बअनवान गंगाराम वगैरह बनाम गुलाब वगैरह में पारित आदेश दिनांक 01.04.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम एवं धारा 96 सीपीसी।

पैरोकार:-

1. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, श्री प्रकाशचंद विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री डी. आर. सोलंकी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2024 बअनवान गंगाराम वगैरह बनाम गुलाब वगैरह में पारित आदेश दिनांक 01.04.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 07 लगायत 12 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा ग्राम बलाडा, पटवार हल्का बलाडा के खसरा नंबर 1094 रकबा 1.7644 के संबंध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने बाबत् अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जो कि विधिसम्मत नहीं हैं। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया, जिससे खसरा नंबर 1094 की भूमि पूर्वी तरफ से खसरा नबर 1093 की भूमि मे तरफ बढना साबित होता हो। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 03 मे स्वंय अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया है तथा अपीलांट का उक्त भूमि पर निर्माण होना स्वीकार किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 06 की मृत्यु होना बताकर अपीलांट के कायम मुकाम को पक्षकार बनाया गया है। जबकि आपीलांट आज दिनांक तक जीवित है। इस प्रकार अपीलांद का उसकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1093 पर कब्जा है एवं उपरोक्त भूमि पर ही अपीलांट द्वारा निर्माण किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। जैर अपील आदेश की आड़ में रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि में दखलंदाजी करने पर आमादा है, अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो गये तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है—

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 6 द्वारा अपीलांट सहित दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में बेदखली बाबत वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.04.2024 को एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थीं तथा न ही आदेश 39 नियम 3 की पालना में नोटिस तामील करवाए गए। अपीलांट द्वारा दिनांक 05.06.2024 को नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं, अपीलाधीन आदेश अपीलांट की गैर मौजूदगी में एकपक्षीय पारित किया गया है तथा विलंब अपीलांट की लापरवाही या उदासीनता से कारित नहीं किया गया है। साथ ही प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः विलंब सद्भाविक व युक्तियुक्त होने के कारण माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी को प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में फौत अंकित करते हुए कायम मुकाम के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जबकि प्रार्थी स्वयं खातेदार है एवं जीवित है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें।

5. अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने के आवेदन के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को मृतक अंकित करते हुए पारित किया गया। जबकि अपीलांट द्वारा स्वयं अपील प्रस्तुत की गई हैं। जोकि प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार है। लिहाजा, आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई व्यादेश है, जो आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.05.2024 तक के लिए प्रभावी था। अतः अपीलाधीन आदेश अंतिम आदेश की श्रेणी में नहीं आता है तथा न ही प्रकरण केस डिसाईडेड की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल प्रार्थना पत्र का गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से निर्णयन नहीं किया गया। अतः इस स्तर पर मूल प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी व निर्णयन अपेक्षित नहीं हैं। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई व्यादेश को आगामी तारीख पेशी अर्थात 09.05.2024 को भी न तो गुणावगुण पर निर्णित किया गया तथा न ही उक्त अस्थाई अंतरिम स्थगन को अंतिम रूप से निर्णित नहीं किए जाने के कोई कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अभिलिखित किए गए हैं। जबकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3क के अंतर्गत ऐसा किया जाना आवश्यक है। जिसकी हस्तगत प्रकरण में अनुपालना नहीं की गई हैं। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में अपीलांट को फौत अंकित करते हुए कायम मुकाम दर्ज कर प्रकरण प्रस्तुत किये गए। जबकि अपीलांट विष्णुराम जीवित है तथा स्वयं द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं। ऐसी स्थिति में न केवल वादीगण रेस्पोंडेंट द्वारा गलत तथ्यों के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र व वादपत्र प्रस्तुत किया गया है, बल्कि अपीलाधीन आदेश भी गलत रूप से अपीलांट को फौत अंकित करते हुए पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण 60 दिवस के भीतर गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से निर्णित किए जाने के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2024 बअनवान गंगाराम वगैरह बनाम गुलाब वगैरह में पारित आदेश दिनांक 01.04.2024 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में संशोधित शीर्षक प्राप्त कर प्रकरण 60 दिवस के भीतर गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जैतारण में विचाराधीन मूल प्रकरण में विहित तारीख पेशी को पेश हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली